झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2013 का क्रॉस लिस्ट,अंक पत्रक आदि के वितरण/प्रमाण पत्रों में हुए त्रुटि संशोधन एवं पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 23/2013

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों, विद्यालय प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2013 का क्रॉस लिस्ट, अंक पत्रक, औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं प्रव्रजन प्रमाण पत्र संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से दिनांक **14.05.2013** से वितरित किया जाएगा, जिसे विद्यालय प्रधान स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत दूत के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(2)जिन छात्रों के अंक पत्रक आदि में नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, सूचीकरण संख्या, आदि में त्रुटि हो तो ऐसे छात्र अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्रक की छाया प्रति के साथ) दिनांक **06.06.2013** तक संबंधित विद्यालय में नि:शुल्क जमा करेंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में दिनांक **18.06.2013** तक अवश्य ही जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क ₹400/- (चार सौ रूपये) के साथ आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

(3)अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Witheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र)की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में दिनांक **30.05.2013** तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2013 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटनी के लिए विद्यालय प्रधान के द्वारा इस आशय का प्रमाणक के साथ कि **" वे संतुष्ट हैं कि स्क्रूटनी के लिए मजबूत एवं समुचित आधार है"** अपना आवेदन पत्र अंक पत्र की छाया प्रति के साथ अग्रसारित कराकर दिनांक **15.05.2013 से 15.06.2013** तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् कार्यालय,राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करेंगे।

प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 150/- (एक सौ पचास)रूपये होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमान्य है। शुल्क की राशि के बैंक ड्राफ्ट **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, राँची"** के नाम से देय एवं भुगतेय, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, दुमका"** के नाम से देय एवं भुगतेय तथा पलामू प्रमण्डल के लिए **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, डाल्टेनगंज"** के नाम से देय एवं भुगतेय होगा। आवेदन के साथ अंक-पत्र की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

1. स्क्रूटनी में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा:-
   (क) अंदर के पृष्ठ में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तब उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा।
   (ख) अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
   (ग) अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा।
2. स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। अतएव वार्षिक परीक्षा- 2013 के अनुत्तीर्ण छात्रों को राय दी जाती है कि स्क्रूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना सम्पूरक (Compartmental) परीक्षा- 2013 अथवा वार्षिक परीक्षा- 2014 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं।
3. निर्धारित तिथि को 5.00 बजे अपराह्न के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही बिना शुल्क के अथवा बिना विद्यालय प्रधान के अग्रसारण एवं अनुशंसा या बिना अंक पत्र की छाया प्रति के स्क्रूटनी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. **निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक द्वारा भेजे गए स्क्रूटनी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

नोट:- वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2013 में असफल छात्र/छात्राओं के लिए परिषद् की ओर से विशेष कॉनसेलिंग की व्यवस्था की गई है। यह कॉनसेलिंग दिनांक 08.05.2013 से 16.05.2013 तक पूर्वाह्न 11:00 बजे से 4:00 बजे तक प्रत्येक कार्यदिवस को मनोविज्ञान के प्राध्यापक द्वारा किया जा रहा है। इच्छुक परीक्षार्थी परिषद् के दूरभाष संख्या-1)18003456523 (टोल फ्री), 2)0651-6453342 तथा 3)0651-6453348 पर सम्पर्क कर परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(सुशील कुमार राय)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा./5382/10/SECY/224/13
Dt. 10.05.13
D.O.P-11.05.13